.यालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/521
दायरा तिथि : 10.09.2025
आदेश तिथि : 15-10-25
प्रार्थी :–

गोपालसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति जाट निवासी सांडेराव तहसील सुमेरपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तार्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 15-10-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 632, 633, 634, 830/636 रकबा क्रमशः 1.02 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 7.74 हैक्टर, 0.0720 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक(खातेदार) की धारीत भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खातेदार उपरोक्त खातेदारी खसरा नम्बर में आवागमन हेतु उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से ही आना जाना करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	632	1.02	बा.दो.	80X09=540वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	633	0.17	बा.दो.	46X09=414वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	634	7.74	बा.दो.	510X09=4590वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,40,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

Scanned by CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/521

अनवान गोपालसिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.4400 हैक्टर में से **540+414+4590=5544 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,40,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
632	1.02	80X09=540 वर्गमीटर	24	12960X2=25920	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
633	0.17	46X09=414 वर्गमीटर	24	9936X2=19872	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
634	7.74	510X09=4590 वर्गमीटर	24	110160X2=220320	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 266112/– (अक्षरे दो लाख छासठ हजार एक सौ बारह रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चिताता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दि[illegible] बिश्नोई)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली

दिनांक : 15/10/25

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1382–86

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गोपालसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति जाट निवासी सांडेराव तहसील सुमेरपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned by CamScanner

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/09/2025 01:44:56 PM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

ग्राम : दूदनी(बाहरीक्षेत्र)

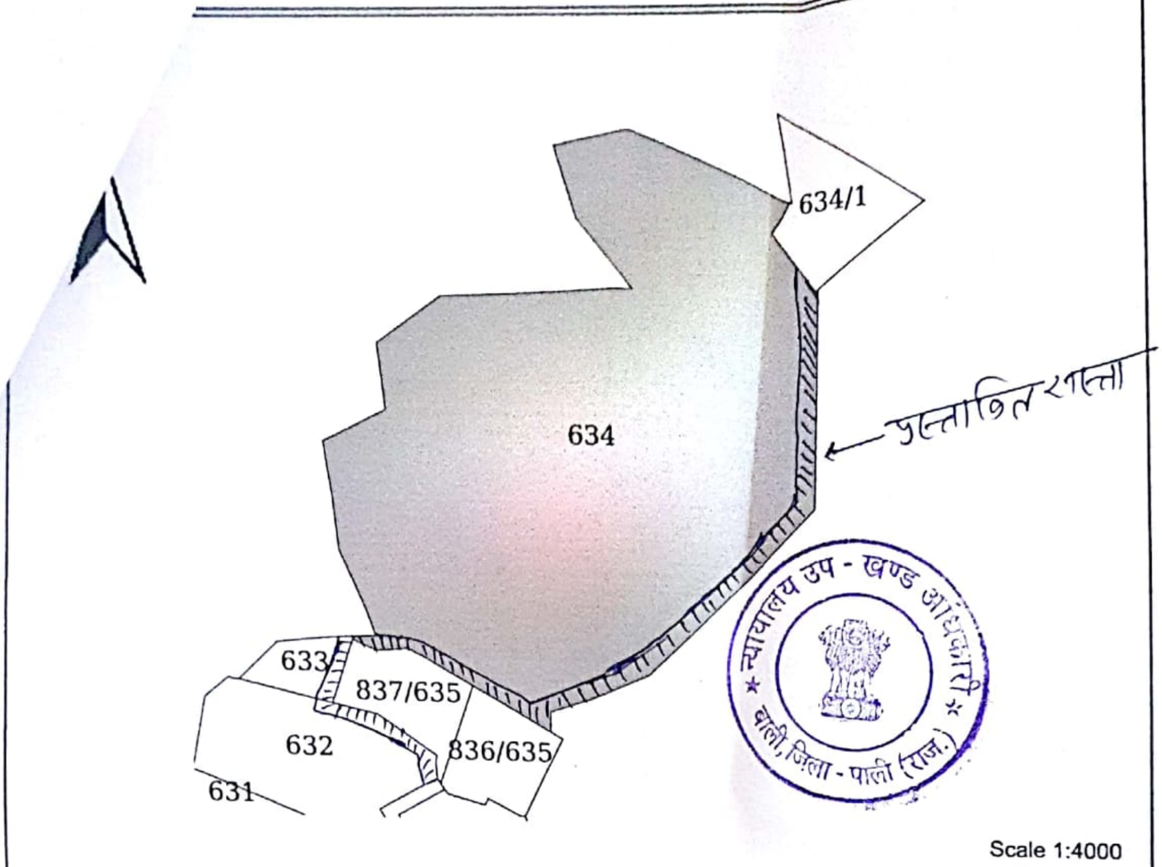

खसरा संख्या :634 क्षेत्रफल : 7.7400 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.पहाड़ [7.7400]
राज. सरकार

मोतीलाल सोलंकी
भू.अ. निरीक्षक
तहसील - बाली (पाली)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned by CamScanner